

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>1 का 30</b>

## 1.0 पॉलिसी कथन

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) और Kaiser Foundation Hospitals (KFH) अतिसंवेदनशील जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सुगम बनाने वाले कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता में पात्र निम्न आय गैरबीमाकृत तथा अल्प-बीमाकृत मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है, जब आपातकालीन तथा चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवाओं का उपयोग करने के मार्ग में सेवा के लिए भुगतान करने की क्षमता एक प्रमुख बाधा है।

## 2.0 उद्देश्य

इस पॉलिसी में चिकित्सा वित्तीय सहायता( Medical Financial Assistance (MFA) )कार्यक्रम के माध्यम से आपातकालीन एवं चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है। ये आवश्यकताएं संयुक्त राज्य आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501(r) तथा पात्र सेवाएं, पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया, कार्यक्रम पात्रता मानदण्ड, MFA अवार्ड्स का ढांचा, अवार्ड राशि की गणना करने का आधार, तथा चिकित्सा बिलों का भुगतान ना होने की स्थिति में अनुमत कार्यवाहियों को सम्बोधित करने वाले अनुप्रयोज्य राज्य विनियमनों के अनुरूप हैं।

## 3.0 कार्यक्षेत्र

**3.1** यह पॉलिसी निम्नलिखित संस्थाओं तथा उनकी सहायक-संस्थाओं (जिन्हें सामूहिक रूप से “KFHP/H” के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर लागू होती है:

**3.1.1** Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

**3.1.2** Kaiser Foundation Hospitals; और

**3.1.3** KFHP/H की सहायक-संस्थाएँ।

**3.2** यह नीति Kaiser Foundation Hospitals और अस्पताल से संबद्ध क्लिनिकों पर लागू होती है, जो *Kaiser Permanente क्षेत्रों, अटैचमेंट 1-8 के परिशिष्ट* में सूचीबद्ध हैं।

## 4.0 परिभाषाएं

*परिशिष्ट B - पॉलिसी शब्दों की शब्दावली देखें।*

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>2 का 30</b>

## 5.0 प्रावधान

KFHP/H - मरीज की आयु, विकलांगता, लिंग, नस्ल, धार्मिक सम्बद्धता, आप्रवासी स्टेटस, लैंगिक उन्मुखता, राष्ट्रीय उद्गम, तथा मरीज के पास स्वास्थ्य बीमा है या नहीं इस पर ध्यान दिए बिना, पात्र मरीजों के लिए आपातकाली एवं चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवा प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक युक्ति-परीक्षित (मीन्स-टेस्टेड) MFA कार्यक्रम संचालित करता है।

### 5.1 MFA पॉलिसी के अन्तर्गत अतिरिक्त पात्र एवं अपात्र सेवाएं।

**5.1.1 पात्र सेवाएं।** MFA (1) कुछ विशिष्ट आपातकालीन एवं चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवाओं, (2) फ़ार्मसी सेवाओं तथा उत्पादों, तथा (3) Kaiser Permanente (KP) केन्द्रों (अर्थात हॉस्पिटल, हॉस्पिटल-संबद्ध क्लीनिक, चिकित्सा केन्द्रों तथा चिकित्सा कार्यालय भवन) पर, KFHP/H बाह्यरोगी फ़ार्मसी पर या (KP) प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय आपूर्तियों पर लागू होती है, जैसा नीचे दर्शाया गया है।

**5.1.1.1 चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवाएं।** ये किसी KP प्रदाता द्वारा आदेशित या प्रदान की जाने वाली देखभाल, उपचार या सेवाएं होती हैं, जो किसी चिकित्सीय समस्या की रोकथाम, मूल्यांकन, डायग्नोसिस अथवा उपचार के लिए आवश्यक हैं, तथा मुख्य रूप से मरीज अथवा चिकित्सा सेवा प्रदाता की सुविधा के लिए नहीं हैं।

**5.1.1.2 लिखित चिकित्सीय एवं फ़ार्मसी आपूर्तियाँ।** KFHP/H बाहरी मरीज फ़ार्मसी पर प्रस्तुत की जाने वाले और KP प्रदाताओं, गैर-KP इमरजेन्सी डिपार्टमेन्ट प्रदाताओं, गैर-KP अर्जेंट केयर प्रदाताओं, KP अनुबंधित प्रदाताओं, डॉक्टर ऑफ़ मेडिसिन इन डेंटिस्ट्री (Doctor of Medicine in Dentistry, DMD) और डॉक्टर ऑफ़ डेंटल सर्जरी (Doctor of Dental Surgery, DDS) द्वारा लिखित प्रिस्क्रिप्शन।

**5.1.1.2.1 जेनेरिक दवाएँ।** जहां कहीं भी संभव हो, जेनेरिक दवाओं के उपयोग को प्राथमिक दी जाती है।

**5.1.1.2.2 ब्रांड दवाएं।** KP प्रदाता द्वारा निर्धारित ब्रांड नाम वाली दवाएं तब योग्य होती हैं जब:

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>3 का 30</b>

- 5.1.1.2.2.1** लिखित रूप से बाटें ("Dispense as Written" (DAW) )प्रिस्क्रिप्शन पर नोट किया गया हो, या
- 5.1.1.2.2.2** कोई भी समान जेनेरिक उपलब्ध न हो।
- 5.1.1.2.3 ओवर-दि-काउंटर ड्रग्स अथवा फ़ार्मसी आपूर्तियां।** ये उत्पाद तब मान्य हैं जब:
- 5.1.1.2.3.1** एक KP प्रदाता ने प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर लिखा हो।
- 5.1.1.2.3.2** आइटम KP आउट पेशेंट फ़ार्मसी द्वारा दिया जाता है; और
- 5.1.1.2.3.3** आइटम KP फ़ार्मसी में नियमित रूप से उपलब्ध हो।
- 5.1.1.2.4 Medicare सहायता लाभार्थी।** फ़ार्मसी छूट के फ़ॉर्म में चिकित्सा सहायता भाग D के तहत कवर की गई लिखित दवाओं के लिए चिकित्सा सहायता लाभार्थियों पर लागू।
- 5.1.1.2.5 दन्त चिकित्सा।** दंत चिकित्सा सेवाओं के उपचार के लिए DMD या DDS द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय रूप से आवश्यक बाह्य रोगी दवाएँ।
- 5.1.1.3 स्थायी चिकित्सा उपकरण (Durable Medical Equipment, DME)।** DME के दिशानिर्देशों के अनुरूप KP प्रदाता द्वारा ऑर्डर दिया जाता है और KFHP/H के माध्यम से चिकित्सीय अनिवार्यता मानदण्ड पर खरे उतरने वाले मरीज को प्रदान किया जाता है। KP संस्थानों से नियमित रूप से उपलब्ध वस्तुओं तक सीमित।
- 5.1.1.4 स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाएँ।** KP द्वारा शेड्यूल की गई और प्रदान की गई उपलब्ध कक्षाओं के लिए संबद्ध शुल्क KP प्रदाता द्वारा मरीज की परिचर्या की योजना के भाग के रूप में प्रदान की जाती है।
- 5.1.1.5 एक अपवाद के रूप में उपलब्ध अतिरिक्त पात्र सेवाएँ।** कुछ परिस्थितियाँ जो अपवाद स्वरूप हैं, MFA एक (1) गैर-KP सुविधा पर

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>4 का 30</b>

प्रदान की गई कुशल नर्सिंग, मध्यवर्ती देखभाल और कस्टोडियल सेवाओं के लिए लागू किया जा सकता है और (2) DME द्वारा लिखित या KP प्रदाता द्वारा ऑर्डर किए गए और एक अनुबंधित/विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जाती है जैसा कि नीचे वर्णित है। अपवाद हेतु पात्र होने के लिए, मरीज को नीचे दिए गए खंड 5.6.2 में वर्णित उच्च चिकित्सा खर्च के मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

**5.1.1.5.1 कुशल नर्सिंग सेवाएँ, मध्यवर्ती देखभाल और कस्टोडियल सेवाएँ।** इन्हें अनुबंधित KP केन्द्र द्वारा ऐसे मरीज को प्रदान किया जाता है, जिसके पास चिकित्सक द्वारा लिखी गई चिकित्सीय आवश्यकता है, जिसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज को सुगम बनाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

**5.1.1.5.2 स्थायी चिकित्सा उपकरण (DME)।** विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए DME को DME दिशानिर्देशों के अनुरूप KP प्रदाता द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तथा अनुबंधित विक्रेता द्वारा KFHP/H DME के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

**5.1.2 अतिरिक्त अपात्र सेवाएँ।** हो सकता है कि MFA इन पर लागू नहीं हो:

**5.1.2.1 ऐसी सेवाएँ जिन्हें KP प्रदाता द्वारा आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं माना जाता है।** निम्नलिखित उन सेवाओं के उदाहरणों की गैर-विस्तृत सूची है जो गैर-आपातकालीन हैं या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक नहीं हैं:

**5.1.2.1.1 कॉस्मेटिक सर्जरी या सेवाएँ जिनमें ऐसी डर्मेटोलॉजी सेवाएँ शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मरीज के स्वरूप को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जाती हैं,**

**5.1.2.1.2 निदान सहित बांझपन का उपचार और संबंधित सेवाएँ।**

**5.1.2.1.3 रिटेल चिकित्सीय आपूर्तियाँ,**

**5.1.2.1.4 वैकल्पिक थेरेपी, जिनमें एक्युपंचर, कायरोप्रेक्टिक और मसाज सेवाएँ शामिल हैं,**

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>5 का 30</b>

- 5.1.2.1.5** यौन रोग का उपचार करने के लिए इंजेक्शन और डिवाइस,
- 5.1.2.1.6** सेरोगेसी सेवाएँ।
- 5.1.2.1.7** तृतीय-पक्ष के दायित्व, निजी बीमा सुरक्षा या कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के मामलों से संबंधित सेवाएँ।
- 5.1.2.1.8** गैर-KP स्वास्थ्य बीमा वाले मरीजों के लिए सेवाएँ। गैर-आकस्मिक या गैर-जरूरी सेवाएँ और आउटपेशेंट फ़ार्मसी आपूर्तियाँ जो मरीज के गैर-KP स्वास्थ्य कवरेज के तहत आते हैं जिसके लिए मरीजों को गैर-KP प्रदाताओं और फ़ार्मसियों के पसंदीदा एक निर्दिष्ट नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक होता है।

**5.1.2.2** लिखित चिकित्सीय एवं फ़ार्मसी आपूर्तियाँ। आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं माने जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन और आपूर्ति में निम्न शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

- 5.1.2.2.1** ऐसी दवाएँ जिन्हें फ़ार्मसी और चिकित्सीय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
- 5.1.2.2.2** KP प्रदाता द्वारा निर्धारित या ऑर्डर नहीं की गई ओवर-द-काउंटर दवाएँ और आपूर्तियाँ।
- 5.1.2.2.3** ओवर-द-काउंटर दवाएँ और आपूर्तियाँ जो KP फ़ार्मसी में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें विशेष रूप से ऑर्डर किया जाना चाहिए।
- 5.1.2.2.4** तृतीय-पक्ष के दायित्व, निजी बीमा सुरक्षा या कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के मामलों से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन।
- 5.1.2.2.5** विशेष रूप से अपवर्जित दवाएँ (जैसे, प्रजनन क्षमता, कॉस्मेटिक, यौन रोग)।

**5.1.2.3** चिकित्सा स्वास्थ्य भाग D के नामांकित व्यक्तियों के लिए लिखित चिकित्सीय जो कि कम आय की सब्सिडी (**Low Income Subsidy, LIS**) के प्रोग्राम के योग्य हैं या उसमें नामांकित हैं। चिकित्सा सहायता एडवांटेज भाग D के नामांकित व्यक्तियों की

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>6 का 30</b>

लिखित चिकित्सीय दवाओं का शेष लागत भाग जो कि सेंटर फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज़ (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) दिशानिर्देशों के अनुसार LIS प्रोग्राम के योग्य हैं या उसमें नामांकित हैं।

**5.1.2.4 KP के सुविधा स्थलों के बाहर प्रदान की गई सेवाएं।** MFA पॉलिसी केवल उन्हीं सेवाओं पर लागू होती है, जो कि KP के सुविधा स्थलों या KP प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। यहाँ तक कि KP प्रदाता की ओर से संदर्भित होने पर भी सभी अन्य सेवाएँ MFA के लिए अयोग्य होंगी। गैर-KP चिकित्सा कार्यालयों, आकस्मिक परिचर्या सुविधास्थलों और आपातकालीन विभागों पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं साथ ही गैर-KP होम हेल्थ, होस्पाइस, रेक्युपरेटिव केयर और कस्टोडियल परिचर्या सेवाओं को भी बाहर रखा गया है जब तक की उपरोक्त धारा 5.1.1.5 के अनुसार एक अपवाद के रूप में पहचान न हुई हो।

**5.1.2.5 स्थायी चिकित्सा उपकरण (DME)।** KP प्रदाता द्वारा ऑर्डर दिया गया हो या नहीं, अनुबंधित विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई DME को बाहर रखा जाता है जब तक की उपरोक्त धारा 5.1.1.5 के अनुसार एक अपवाद के रूप में पहचान न हुई हो।

**5.1.2.6 परिवहन सेवाएँ और यात्रा व्यय।** MFA प्रोग्राम आपातकालीन या गैर-आपातकालीन परिवहन या यात्रा संबंधी खर्चों (अर्थात, आवास और भोजन) के लिए भुगतान करने में मरीजों को मदद नहीं करता है।

**5.1.2.7 हेल्थ प्लान प्रीमियम।** MFA कार्यक्रम मरीजों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जुड़े हुए व्यय का भुगतान करने में सहायता नहीं करता है (उदहारण, ड्यू या प्रीमियम)।

**5.1.3 क्षेत्र-विशिष्ट पात्र और अपात्र सेवाओं और उत्पादों के बारे में अतिरिक्त जानकारी** सम्बंधित परिशिष्ट में उपलब्ध है। *Kaiser Permanente क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट देखें संलग्नक 1-8।*

**5.2 प्रदातागण।** MFA केवल उन चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली पात्र सेवाओं पर लागू होता है जिन पर MFA की पॉलिसी लागू होती है। *Kaiser Permanente क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट देखें संलग्नक 1-8।*

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>7 का 30</b>

- 5.2.1 कार्यक्रम सूचना स्रोत तथा MFA हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया।** MFA कार्यक्रम और आवेदन करने के तरीके के बारे में अतिरिक्त जानकारी संक्षेप में संबंधित परिशिष्ट में दी गई है। *Kaiser Permanente क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट देखें संलग्नक 1-8।*
- 5.2.2 कार्यक्रम की जानकारी के स्रोत।** MFA पॉलिसी, आवेदन प्रपत्र, निर्देश, तथा सरल भाषा में सारांश (जैसे कि पॉलिसी सारांश अथवा कार्यक्रम विवरणिका) की प्रतियां, किसी शुल्क के बिना आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, KFHP/H' एस की वेबसाइट पर, ईमेल द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, अथवा यूएस डाक द्वारा।
- 5.2.3 MFA के लिए आवेदन करना।** MFA कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, एक मरीज को KP सेवाओं के लिए बकाया राशि के बिल के कारण तत्काल आवश्यकता, KP के साथ एक नियुक्ति शेड्यूल या योग्य सेवाओं के लिए KP प्रदाता द्वारा ऑर्डर किए गए एक लिखित फार्मसी को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है जैसा ऊपर वर्णित है। मरीज MFA कार्यक्रम के लिए कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन द्वारा, या आवेदनपत्र द्वारा शामिल हैं।
- 5.2.3.1 KP MFA कार्यक्रम।** मरीजों को, जिस KP से सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं, उस KP सेवा क्षेत्र में MFA कार्यक्रम के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- 5.2.3.2 सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम की पात्रता के लिए मरीजों की स्क्रीनिंग।** KFHP/H सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, समग्र निजी स्वास्थ्य के लिए और मरीज की संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। KFHP/H, स्वास्थ्य लाभ विनिमय पर उपलब्ध Medicaid और कवरेज सहित उपलब्ध सहायता कार्यक्रमों को पहचानने में और उनके लिए आवेदन करने में अभीमाकृत रोगी या उनके गारंटर्स की मदद करेगा। कोई ऐसा मरीज जो Medicaid या स्वास्थ्य लाभ विनिमय पर उपलब्ध कवरेज के लिए पात्र समझा जाता है, उसे उन कार्यक्रमों में आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। Medicaid आय की पात्रता मापदंडों से अधिक की वित्तीय स्थिति वाले मरीजों को Medicaid के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>8 का 30</b>

**5.3 MFA के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक सूचना।** MFA कार्यक्रम के साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ विनियम पर उपलब्ध Medicaid एवं रियायती कवरेज कार्यक्रमों के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए किसी मरीज की वित्तीय स्थिति का सत्यापन करने के लिए पूर्ण व्यक्तिगत, वित्तीय तथा अन्य सूचना की आवश्यकता होती है। मरीज़ द्वारा सहायता के लिए आवेदन करने पर हर बार मरीज़ की वित्तीय स्थिति का सत्यापन किया जाता है।

**5.3.1 वित्तीय जानकारी प्रदान करना।** मरीज़ों को अपने MFA आवेदन के साथ घर के आकार और घरेलू आय की जानकारी शामिल करने की आवश्यकता है, हालांकि, जब तक KP द्वारा विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जाता, वित्तीय स्थिति के सत्यापन की अनुमति देने के लिए वित्तीय दस्तावेज़ जमा करना वैकल्पिक है।

**5.3.1.1 वित्तीय दस्तावेज़ के बिना वित्तीय स्थिति का सत्यापन।** यदि MFA आवेदन के साथ वित्तीय दस्तावेज़ शामिल नहीं है, तो बाहरी डेटा स्रोतों का उपयोग करके मरीज़ की वित्तीय स्थिति को सत्यापित किया जाएगा। अगर किसी मरीज़ की वित्तीय स्थिति का सत्यापन बाहरी डेटा स्रोतों से नहीं किया जा सकता है, तो मरीज को MFA प्रोग्राम आवेदन में वर्णित वित्तीय जानकारी सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति के सत्यापन की अनुमति दी जा सके।

**5.3.1.2 वित्तीय दस्तावेज़ से वित्तीय स्थिति का सत्यापन।** यदि MFA आवेदन के साथ वित्तीय दस्तावेज़ शामिल हैं, तो प्रदान की गई जानकारी पर पात्रता आधारित होगी।

**5.3.2 पूर्ण सूचना प्रदान करना।** सभी आवश्यक व्यक्तिगत, वित्तीय तथा अन्य सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात MFA कार्यक्रम पात्रता का निर्धारण किया जाता है।

**5.3.3 अधूरी सूचना।** प्राप्त की गई सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में मरीज को व्यक्तिगत रूप से, मेल द्वारा अथवा टेलीफोन द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मरीज नोटिस भेजे जाने, व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप किए जाने, अथवा टेलीफोन द्वारा वार्तालाप होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर छूटी हुई सूचना को प्रस्तुत कर सकता है। अधूरी सूचना के कारण MFA से मना किया जा सकता है।

**5.3.4 अनुरोध की गई सूचना उपलब्ध न होना।** कोई ऐसा मरीज जिसके पास कार्यक्रम आवेदनपत्र में वर्णित अनुरोध की गई सूचना नहीं है, वह अपनी पात्रता दर्शा सकने



पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>9 का 30</b>

वाले उपलब्ध अन्य दस्तावेज़ के बारे में चर्चा करने के लिए KFHP/H से सम्पर्क कर सकता है।

**5.3.5 कोई वित्तीय सूचना उपलब्ध न होना।** जब (1) बाहरी डेटा स्रोतों का प्रयोग करते हुए किसी मरीज की वित्तीय स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सकता हो, (2) अनुरोध की गई वित्तीय सूचना न उपलब्ध हो, तथा (3) पात्रता दर्शा सकने वाले कोई अन्य दस्तावेज़ न उपलब्ध हों, - मरीज को कम से कम आधारभूत वित्तीय सूचना (जैसे कि आय, यदि कोई हो, तथा स्रोत) प्रदान करने तथा उसकी वैधता अनुप्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। निम्न में से कुछ भी होने पर मरीज से आधारभूत वित्तीय सूचना तथा अनुप्रमाणन की आवश्यकता होती है:

**5.3.5.1** रोगी बेघर है या बेघर क्लिनिक से देखभाल प्राप्त करने वाला है।

**5.3.5.2** मरीज के पास कोई आय न हो, उसे अपने नियोक्ता से एक औपचारिक भुगतान पर्ची का निचला-भाग न मिलता हो (स्व नियोजित व्यक्तियों को छोड़कर), मौद्रिक उपहार मिलता हो, अथवा पिछले कर वर्ष में एक संघीय अथवा राज्य आय कर विवरणी फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी।

**5.3.5.3** मरीज एक ज्ञात राष्ट्रीय या क्षेत्रीय आपदा या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (नीचे दिए गए खंड 5.11 को देखें) से प्रभावित हुआ है।

**5.3.6 मरीज का सहयोग।** अनुरोध की गई सभी सूचनाएं प्रदान करने के लिए मरीज को सभी उचित प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुरोध की गई सभी सूचनाएं न प्रदान करने की स्थिति में, पात्रता का निर्धारण करते समय परिस्थितियों पर विचार किया जाता है।

**5.4 प्रकल्पिक पात्रता निर्धारण।** भरे हुए आवेदन के अभाव में वित्तीय सहायता की स्वीकृति उन परिस्थितियों में जा सकती है जब मरीज के पास कोई शेष बैलेंस है, KP आउटरीच प्रयासों का जवाब नहीं दिया हो और भले ही मरीज ने आवेदन नहीं किया है लेकिन अन्य उपलब्ध जानकारियाँ वित्तीय परेशानियों की पुष्टि करती हैं। यदि पात्र होने के लिए निर्धारित किया जाता है, तो मरीज को वित्तीय स्थिति को सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसे स्वचालित रूप से एक MFA पुरस्कार दिया जा सकता है। संभावित पात्रता निर्धारण के कारक और सहायक जानकारी को मरीज के खाते में प्रलेखित किया जाएगा और मरीज के अतिरिक्त नोट शामिल किए जा सकते हैं। यदि मरीज पहले ही पात्रता प्राप्त कर चुका है

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>10 का 30</b>

या वित्तीय कठिनाई के संकेत हैं तो एक मरीज को पात्र माना जाता है और दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के लिए मना कर दिया जाता है।

**5.4.1 पहले से योग्य।** जिन स्थितियों में इस बात का सबूत है कि एक मरीज वित्तीय जाँच प्रक्रिया में नामांकित है या नीचे उल्लिखित सार्वजनिक और निजी सहायता कार्यक्रमों के लिए संभावित रूप से अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है, उन्हें MFA कार्यक्रम के लिए पात्र (यानी, पहले से योग्य) माना जाता है। मरीज को पहले से पात्र माना जाता है यदि मरीज निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- 5.4.1.1** जब वह किसी सामुदायिक एमएफए (Community MFA (CMFA) )कार्यक्रम में नामांकित है, जिसमें (1) संघीय, राज्य, अथवा स्थानीय सरकार (2) कोई सहायक समुदाय-आधारित संगठन, अथवा (3) किसी KFHP/H प्रायोजित सामुदायिक स्वास्थ्य ईवेन्ट - के माध्यम से मरीजों को संदर्भित एवं पहले से पात्र निर्धारित किया गया हो।
- 5.4.1.2** वह किसी ऐसे KP सामुदायिक लाभ कार्यक्रम में नामांकित हो, जो निम्न-आय वाले मरीजों के लिए चिकित्सीय सेवा में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा निर्दिष्ट KFHP/H कर्मचारी द्वारा पहले से पात्र निर्धारित किया गया हो।
- 5.4.1.3** वह किसी विश्वसनीय युक्ति-परीक्षित (मीन्स-टेस्टेड) स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम (जैसे कि चिकित्सा सहायता मेडिकेयर कम आय सब्सिडी कार्यक्रम) में नामांकित हो या उसके लिए पहले से ही पात्र माना गया हो।
- 5.4.1.4** एक विश्वसनीय युक्ति-परीक्षित सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम (जैसे, महिला, शिशु और बाल कार्यक्रम, पूरक पोषण और सहायता कार्यक्रम) में नामांकित हो।
- 5.4.1.5** कम आय वाले या रियायती आवास में रहता हो।
- 5.4.1.6** पिछले 30 दिन के अन्दर शुरू हुए पूर्व MFA अवार्ड स्वीकृत किया गया था।

**5.4.2 वित्तीय परेशानियों के संकेत।** एक मरीज जिसने KP सुविधा में देखभाल प्राप्त की है और जिनके लिए वित्तीय परेशानी होने के संकेत हैं (जैसे, पिछले बकाया की

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>11 का 30</b>

शेष राशि या भुगतान करने में असमर्थता) तो बाहरी डेटा स्रोतों का उपयोग करके KP और ऋण वसूली एजेंसी द्वारा कार्यक्रम की पात्रता और वित्तीय परेशानियों के लिए जाँच की जा सकती है। पात्र होने पर मरीज को केवल पात्र बकाया राशि के लिए MFA पुरस्कार मिलेगा।

**5.4.2.1 KP द्वारा पात्रता निर्धारण।** मरीजों की बकाया राशियों को ऋण वसूली एजेंसी के पास रखने से पहले कार्यक्रम की पात्रता के लिए KP उनकी स्क्रीनिंग कर सकता है।

**5.4.2.1.1 शेष स्व-भुगतान राशि।** KP इन मरीजों की जाँच करेंगे जिनकी पहचान **5.6 कार्यक्रम पात्रता मानदंड** के अनुसार युक्ति-परीक्षण के आधार पर कार्यक्रम पात्रता के लिए एक ऋण वसूली एजेंसी के साथ प्लेसमेंट के लिए की गई है।

**5.4.2.1.2 वित्तीय परेशानियों के संकेत।** पात्रता निर्धारित करने के लिए बकाया राशि वाले कुछ मरीजों की वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन KP को ज्ञात वित्तीय परेशानियों के अन्य संकेत कम आय के निर्धारण का कारण बन सकते हैं। योग्य बकाया राशि MFA कार्यक्रम पर लागू की जाएगी और आगे के लिए वसूली कार्रवाई के अधीन नहीं होगी। वित्तीय परेशानियों के संकेतों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

**5.4.2.1.2.1 मरीज प्रायोजक, सामाजिक सुरक्षा नंबर, कर रिकॉर्ड या वैध बिलिंग पते के बिना एक गैर-अमेरिकी नागरिक है;** अपने खाते के बारे में KP से संपर्क नहीं किया है; और उचित वसूली प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि मरीज के पास अपने मूल देश में वित्तीय या परिसंपत्ति संसाधन नहीं हैं।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>12 का 30</b>

**5.4.2.1.2.2** मरीज़ पर पहले प्रदान की गई KP सेवाओं के लिए बकाया राशि है और तब से वह एक विस्तारित अवधि के लिए जेल में बंद है; विवाहित नहीं है; आय के कोई संकेत नहीं हैं; और KP मरीज़ से संपर्क करने में असमर्थ रहा है।

**5.4.2.1.2.3** मरीज़ की मृत्यु हो गई है और उसके ऋण के लिए ज़िम्मेदार किसी रिश्तेदार की संपदा/संपत्ति या रिकॉर्ड नहीं है।

**5.4.2.1.2.4** मरीज़ की मृत्यु हो गई है और मृत्यु का प्रमाण या संपत्ति दिवालियापन दर्शाती है

**5.4.2.2 ऋण वसूली एजेंसी द्वारा पात्रता निर्धारण।** ऋण वसूली एजेंसी के पास रखी गई बकाया राशि की कार्यक्रम की पात्रता और वित्तीय परेशानियों के लिए नियमित रूप से जाँच की जाएगी।

**5.4.2.2.1 वित्तीय परेशानियों के संकेत।** ऋण संग्रह एजेंसियाँ अन्य वित्तीय जानकारी (जैसे, पिछले दिवालियापन, गैर-KP ऋण, क्रेडिट विवरण, भुगतान करने की प्रवृत्ति, आदि) और सामाजिक-आर्थिक मानकों (जैसे, घर का स्वामित्व) का उपयोग करके मरीज़ के खातों की एक स्वतंत्र समीक्षा करेंगी जो जिसका उपयोग वित्तीय परेशानी के निर्धारण के लिए किया जाएगा। पात्र होने पर मरीज़ को केवल पात्र बकाया राशि के लिए MFA पुरस्कार मिलेगा। योग्य बकाया राशि KP को वापस कर दी जाएगी, MFA कार्यक्रम पर लागू की जाएगी और आगे के लिए वसूली कार्रवाई के अधीन नहीं होगी।

**5.5 कार्यक्रम पात्रता मानदण्ड।** क्षेत्र-विशिष्ट परिशिष्ट के खंड V में सारांशित किए गए अनुसार, MFA के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति परीक्षित तरीकों या उच्च चिकित्सा व्यय मापदंड के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए पात्रता प्राप्त कर सकता है। *Kaiser Permanente क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट देखें संलग्नक 1-8।*

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>13 का 30</b>

**5.5.1 युक्ति-परीक्षण मानदण्ड।** यह निर्धारण करने के लिए मरीज का मूल्यांकन किया जाता है, कि क्या मरीज युक्ति-परीक्षण (मीन्स-टेस्टिंग) पात्रता मानदण्ड पर खरा उतरता है।

**5.5.1.1 आय के स्तर के आधार पर पात्रता।** आय स्तर के आधार पर पात्रता संघीय गरीबी दिशानिर्देश (Federal Poverty Guidelines (FPG)) के प्रतिशत के रूप में KFHP/H के युक्ति-परीक्षण मानदण्ड के बराबर या उससे कम घरेलू आय वाला मरीज वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। युक्ति-परीक्षण में संपत्तियों पर विचार नहीं किया जाता है।

**5.5.1.2 घरेलू आय।** आय की आवश्यकताएँ घर के सदस्यों पर लागू होती हैं। घरेलू का अर्थ है एक व्यक्ति या दो या अधिक व्यक्तियों का समूह जो जन्म, विवाह या अपनाने के द्वारा संबंधित हों, जो एक साथ रहते हो। घरेलू सदस्यों में पति/पत्नी, योग्य घरेलू साथी, बच्चे, देखभाल करने वाले रिश्तेदार, देखभाल करने वाले रिश्तेदारों के बच्चे और अन्य लोग हो सकते हैं, जिनके लिए एक व्यक्ति, पति/पत्नी, घरेलू साथी या माता-पिता आर्थिक रूप से जिम्मेदार होते हैं जो घर में रहते हैं।

**5.5.2 उच्च चिकित्सीय खर्च के मापदंड।** यह निर्धारण करने के लिए मरीज का मूल्यांकन किया जाता है, क्या मरीज उच्च चिकित्सीय व्यय पात्रता मानदण्ड पर खरा उतरता है।

**5.5.2.1 उच्च चिकित्सीय व्ययों के आधार पर पात्रता।** कुल घरेलू आय स्तर वाला कोई ऐसा मरीज जिसके द्वारा आवेदन के पहले 12-महीने की अवधि के दौरान पात्र सेवाओं के लिए, अपने पास से किया जाने वाला चिकित्सीय तथा फार्मसी व्यय वार्षिक घरेलू आय के 10% के बराबर या उससे अधिक है, तो वह वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।

**5.5.2.1.1 KFHP/H अपने पास से किये जाने वाले व्यय।** KP केन्द्रों पर किया जाने वाले चिकित्सीय एवं फार्मसी व्यय में सहभुगतान, जमा, सहबीमा, तथा पात्र सेवाओं से सम्बन्धित कटौतियां शामिल हैं।

**5.5.2.1.2 गैर-KFHP/H अपने पास से किये जाने वाले व्यय।** गैर-KP सुविधास्थलों पर प्रदान किए जाने वाले

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>14 का 30</b>

चिकित्सीय फॉर्मसी और डेंटल व्यय, जो कि योग्य चिकित्सीय आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं और मरीज़ द्वारा किए गए हैं (छोटों या राइट-ऑफ़ किए गए खर्चों को छोड़कर) शामिल किए जाते हैं। मरीज़ के लिए गैर-KP सुविधास्थलों से प्राप्त सेवाओं के लिए चिकित्सीय खर्चों के दस्तावेज़ प्रदान करना आवश्यक है।

**5.5.2.1.2.1** यदि गैर-KFHP/H प्रदाता, जहाँ शुल्क लिया जाता है, जो ऐसी वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसके लिए रोगी पात्र हो सकता है, तो शुल्कों को एक योग्य चिकित्सा व्यय माने जाने से पहले रोगियों को आवेदन करना होगा।

**5.5.2.1.3** **हेल्थ प्लान प्रीमियम।** आउट-ऑफ़ पॉकेट व्ययों में हेल्थ केयर कवरेज (उदा बकाया या प्रीमियम) के साथ संबद्ध लागत शामिल नहीं है।

## 5.6 अस्वीकृतियां एवं अपीलें

**5.6.1 अस्वीकृतियां।** कोई ऐसा मरीज़ जिसने MFA कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है और पात्रता मानदण्डों पर खरा नहीं उतरता है, उसे लिखित रूप से सूचित किया जाएगा कि MFA के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।

**5.6.2 MFA अस्वीकरण के विरुद्ध अपील कैसे करें।** जिन मरीज़ों को MFA के लिए अस्वीकृत किया गया है या अनुमोदित किया गया है और मानते हैं कि वे उच्च MFA पात्रता के लिए योग्य हैं, तो वे निर्णय के लिए अपील कर सकते हैं। मरीज़ों को अपील करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है यदि उन्होंने (1) पहले वित्तीय दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं या (2) उनकी घरेलू आय में परिवर्तन हुआ है। अपील प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश MFA अस्वीकरण पत्र और अनुमोदन पत्रों के साथ ही MFA की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अपील की समीक्षा निर्दिष्ट KFHP/H स्टाफ़ द्वारा की जाती है। मरीज़ों को उनकी अपील के परिणाम के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाता है। अपील के सभी निर्णय अंतिम होते हैं।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>15 का 30</b>

**5.7 पुरस्कार की संरचना।** MFA पुरस्कार पात्र पिछले देय या बकाया शेष राशि, एक ऋण संग्रह एजेंसी के पास उपलब्ध शेष राशि और लंबित शुल्क पर लागू होते हैं। MFA पुरस्कारों में KP प्रदाता द्वारा निर्धारित किसी भी आवश्यक फॉलो अप सेवाओं के लिए पात्रता अवधि भी शामिल हो सकती है।

**5.7.1 अवार्ड दिए जाने का आधार।** MFA प्रोग्राम द्वारा भुगतान किए गए मरीज की लागत का निर्धारण क्या मरीज के पास हेल्थ केयर कवरेज है और मरीज की घरेलू आय के आधार पर किया जाता है।

**5.7.1.1 हेल्थ केयर कवरेज के बिना (गैर-इंश्योर्ड) MFA-पात्र मरीज।** एक पात्र गैर-इंश्योर्ड मरीज को सभी योग्य सेवाओं पर मरीज की लागत पर छूट प्राप्त होती है।

**5.7.1.2 हेल्थ केयर कवरेज वाले (इंश्योर्ड) MFA-पात्र मरीज।** एक पात्र इंश्योर्ड मरीज को सभी योग्य सेवाओं पर मरीज की लागत पर छूट प्राप्त होती है (1) जिसके लिए मरीज व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और (2) जिसे उनके इंश्योरेंस वाहक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। बिल के ऐसे भाग का निर्धारण करने के लिए जिसे इंश्योरेंस द्वारा कवर नहीं किया गया है, मरीज के लिए दस्तावेज़ जैसे बेनिफिट का विवरण (Explanation of Benefits, EOB) प्रदान करना आवश्यक है। पात्र बीमाकृत मरीज को किसी भी अस्वीकृत दावों के लिए अपने इंश्योरेंस वाहक के पास अपील दायर करना आवश्यक होता है। योग्य बीमाकृत मरीजों को अपने इंश्योरेंस वाहक द्वारा अपील से इनकार के दस्तावेज़ उपलब्ध कराना आवश्यक होता है।

**5.7.1.2.1 बीमा कम्पनी से प्राप्त भुगतान।** एक पात्र बीमाकृत मरीज को - KFHP/H द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए मरीज को उस मरीज की बीमा कम्पनी से मिलने वाले किसी भी भुगतान को KFHP/H को सौंपने की आवश्यकता होती है।

**5.7.1.3 डिस्काउंट शेड्यूल।** चिकित्सा वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने वाले मरीज से KP जो भुगतान लेता है वह कार्यक्रम के लिए मरीज की पात्रता के लिए उपयोग किए गए पात्रता मानदंड के प्रकार पर आधारित होता है। पॉलिसी के तहत उपलब्ध डिस्काउंट के बारे में

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>16 का 30</b>

अतिरिक्त जानकारी को सम्बंधित अनुशेष में संक्षेपित में किया गया है। *Kaiser Permanente क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट देखें संलग्नक 1-8।*

**5.7.1.3.1 प्रकल्पिक पात्रता निर्धारण - पूर्व निर्धारित।** एक मरीज जो MFA पात्रता के लिए पहले से ही योग्य है (जैसा खंड 5.4.1 में संक्षेपित किया गया है) मरीज की लागत या प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क पर 100% MFA छूट प्राप्त करेगा, जिसके लिए मरीज जिम्मेदार है।

**5.7.1.3.2 KP द्वारा प्रकल्पित पात्रता निर्धारण - बकाया स्व-भुगतान शेष।** एक मरीज जो मीन्स-टेस्टिंग्स को पूरा करता है वो रोगी उन लागत या सेवाओं के शुल्क के हिस्से पर स्लाइडिंग स्केल छूट का हकदार है जिसके लिए रोगी जिम्मेदार है।

**5.7.1.3.3 KP द्वारा प्रकल्पित पात्रता निर्धारण - वित्तीय परेशानियों के संकेत।** एक मरीज जो वित्तीय परेशानियों के संकेत के मानदंडों को पूरा करता है, उसे रोगी की लागत या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के भाग पर 100% MFA छूट मिलेगी, जिसके लिए मरीज जिम्मेदार है।

**5.7.1.3.4 ऋण वसूली एजेंसी द्वारा प्रकल्पित पात्रता निर्धारण।** एक मरीज जो वित्तीय परेशानियों के वैंडर मानदंडों को पूरा करता है, उसे रोगी की लागत या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के भाग पर 100% MFA छूट मिलेगी, जिसके लिए मरीज जिम्मेदार है।

**5.7.1.3.5 वो मरीज जो मीन्स-टेस्टिंग मानदण्ड को पूरा करता है।** एक मरीज जो मीन्स-टेस्टिंग्स को पूरा करता है वो रोगी उन लागत या सेवाओं के शुल्क के हिस्से पर स्लाइडिंग स्केल MFA छूट का हकदार है जिसके लिए रोगी जिम्मेदार है।

**5.7.1.3.6 मरीज उच्च चिकित्सा व्यय मानदंड को पूरा करता है।** एक मरीज जो उच्च-चिकित्सा खर्च के मानदंडों को पूरा



पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>17 का 30</b>

करता है, उसे रोगी की लागत या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क पर 100% MFA छूट मिलेगी, जिसके लिए मरीज जिम्मेदार है।

**5.7.1.4 समझौता से पैसे की वापसी।** KFHP/H - तृतीय पक्ष दायित्व निपटान, निजी बीमा सुरक्षा समाधान, भुगतानकर्ताओं, अथवा अन्य विधिक रूप से जिम्मेदार पक्षों से किसी प्रतिपूर्ति का अननुशीलन करती है।

**5.7.2 पुरस्कार की योग्यता की अवधि।** फॉलो अप सेवाओं के लिए पात्रता अवधि, स्वीकृति की तिथि से या सेवा प्रदान करने की तिथि से या जिस दिन दवा देना शुरू किया गया था उस दिन से शुरू होती है। पात्रता अवधि की मियाद केवल एक सीमित समय के लिए होती है और KP द्वारा विवेकाधिकार से निर्धारित की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

**5.7.2.1 विशिष्ट समय अवधि।** योग्य फॉलो अप सेवाओं के लिए अधिकतम 365 दिन और खराब ऋण रेफरल से पहले पहचाने गए मरीज की लागत के बैलेंस का शेष।

**5.7.2.2 कुशल नर्सिंग सेवाएँ, कस्टोडियल सेवाएँ और मध्यवर्ती देखभाल।** KP के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अधिकतम 30 दिन।

**5.7.2.3 टिकाऊ चिकित्सा उपकरण:** विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिकतम 180 दिन।

**5.7.2.4 उपचार की अवधि अथवा देखभाल की कड़ी।** KP प्रदाता द्वारा निर्धारित उपचार और/या देखभाल की कड़ी के लिए अधिकतम 180 दिन।

**5.7.2.5 सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के लिए सम्भावित रूप से पात्र मरीजों के लिए अधिकतम अवधि।** सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के दौरान मरीज की सहायता के लिए अधिकतम 90 दिन।

**5.7.2.6 एक बार दिया जाने वाला फ़ार्मसी अवार्ड।** MFA कार्यक्रम में आवेदन करने से पहले, मरीज 'एक बार दिये जाने वाले फ़ार्मसी अवार्ड' के लिए पात्र होता है, यदि मरीज (1) के पास सक्रीय या लंबित MFA अवार्ड न हो, (2) उसने किसी KFHP/H फ़ार्मसी में किसी KP प्रदाता

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>18 का 30</b>

द्वारा लिखी गई दवाओं को ले लिया हो तथा (3) लिखी गई दवाओं के लिए भुगतान करने में अक्षमता व्यक्त की हो और (4) MFA पात्रता निर्धारित करने के लिए वित्तीय परामर्शदाता उपलब्ध न हो। एक बार दिए जाने वाले अवार्ड प्रत्येक मरीज़ के लिए केवल एक बार, एक दिन के लिए सीमित हैं और उसमें काबिल KP प्रदाता द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त निर्धारित दवाओं की उचित आपूर्ति - शामिल होती है।

**5.7.2.7 वित्तीय सहायता के लिए फिर से आवेदन करना मौजूदा पुरस्कार की समाप्ति तिथि से तीस (30) दिन पहले और उसके बाद कभी भी, एक मरीज कार्यक्रम के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।**

**5.7.3 अवार्ड का प्रतिसंहरण, विखंडन अथवा संशोधन किया जाना।** KFHP/H विशिष्ट स्थितियों में अपने विवेकाधिकार पर किसी MFA अवार्ड का प्रतिसंहरण, विखंडन अथवा संशोधन कर सकता है। इन स्थितियों में शामिल हैं:

**5.7.3.1 धोखाधड़ी, चोरी अथवा वित्तीय परिवर्तन।** मरीज की वित्तीय स्थिति में धोखाधड़ी, मिथ्याकथन, चोरी, परिवर्तन का मामला, अथवा अन्य परिस्थितियां जो MFA कार्यक्रम की समेकता को क्षति पहुंचा सकती हों।

**5.7.3.2 सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के लिए पात्रता।** सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के लिए अनुवीक्षण किए गए मरीज को पात्र माना गया है, लेकिन उसने उन कार्यक्रमों की आवेदन प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया है।

**5.7.3.3 पहचाने गए अन्य भुगतान स्रोत।** मरीज़ को MFA पुरस्कार प्राप्त होने के बाद पहचाने गए हेल्थ कवरेज या अन्य भुगतान स्रोतों के कारण योग्य सेवाओं पर लगाए गए शुल्क को पूर्व क्रियाकलाप के अनुसार फिर से लगाया जाता है। यदि ऐसा होता है, तो मरीज़ को बिल के उस भाग के लिए बिल नहीं लगाया जाता है (1) जिसके लिए मरीज़ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो और (2) जिसका भुगतान उनके हेल्थ कवरेज या अन्य भुगतान स्रोत से नहीं किया गया हो।

**5.7.3.4 हेल्थ कवरेज में परिवर्तन।** ऐसा मरीज़ जिसके हेल्थ केयर कवरेज में परिवर्तन का अनुभव होता है, उसे MFA प्रोग्राम में फिर से आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>19 का 30</b>

**5.7.3.5 घरेलू आय में परिवर्तन।** ऐसा मरीज़ जिसके घरेलू आय में परिवर्तन का अनुभव होता है, उसे MFA प्रोग्राम में फिर से आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।

**5.8 शुल्कों की सीमा।** Kaiser Foundation Hospital पर दिए गए पात्र अस्पताल शुल्कों के लिए MFA-पात्र मरीज़ों को डॉलर की पूरी राशि (उदा. सकल शुल्क) का शुल्क लगाना प्रतिबंधित है। वह मरीज़, जो Kaiser Foundation Hospital में पात्र अस्पताल सेवाएँ प्राप्त की है और जो MFA कार्यक्रम के लिए पात्र है लेकिन जिसे MFA पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है या जिसने MFA पुरस्कार अस्वीकार कर दिया है उसे इन सेवाओं के लिए आमतौर पर लगाए गए शुल्क (amounts generally billed, AGB) की राशि का शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

**5.8.1 सामान्य तौर पर बिल की जाने वाली राशि।** बीमित व्यक्तियों के लिए आपातकालीन अथवा अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवा के लिए सामान्य तौर पर बिल की जाने वाली राशि (AGB) का निर्धारण KP केन्द्रों पर किया जाता है, जैसा कि लागू क्षेत्र-विशिष्ट परिशिष्ट के अनुभाग VII में वर्णित किया गया है।  
*Kaiser Permanente क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट देखें, संलग्नक 1-8।*

**5.9 कलेक्शन कार्यवाही।**

**5.9.1 उचित अधिसूचना प्रयास।** KFHP/P अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाली कोई ऋणकलेक्शन एजेन्सी - मरीज़ों को MFA कार्यक्रम से जुड़ी पिछली देयताओं अथवा बकाया धनराशियों के बारे में अधिसूचित करने का उचित प्रयास करती है। उचित अधिसूचना प्रयासों में शामिल हैं:

**5.9.1.1** प्रथम पोस्ट-डिस्चार्ज स्टेटमेंट से 120 दिनों के अन्दर एक लिखित सूचना प्रदान करना, जिसमें खाता धारक को सूचित किया जाता है कि MFA ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध है, जो पात्र हैं।

**5.9.1.2** एक्सट्राऑर्डिनरी कलेक्शन कार्यवाही (extraordinary collection actions, ECA) की सूची के साथ लिखित सूचना प्रदान किया जाना कि KFHP/H अथवा कोई ऋण कलेक्शन एजेन्सी मरीज़ की लागत की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु कार्यवाही आरंभ करना चाहती है तथा उस कार्यवाही की समयसीमा - लिखित सूचना की तिथि से 30 दिन से पहले नहीं होगी।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>20 का 30</b>

- 5.9.1.3** पहले हॉस्पिटल मरीज विवरण के साथ MFA नीति का एक सरल भाषा में सारांश प्रदान किया जाना।
- 5.9.1.4** खाताधारक को MFA नीति तथा MFA आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता प्राप्त करने के तरीके के बारे में मौखिक रूप से अधिसूचित करने का प्रयास करना।
- 5.9.1.5** पिछला बकाया या मरीज के बैलेंस की शेष राशि को ऋण वसूली एजेंसी में स्थानांतरित करने से पहले, अनुरोध पर कार्यक्रम की पात्रता का निर्धारण।
- 5.9.2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन कार्यवाही का निलम्बन।** KFHP/H निम्नलिखित स्थितियों में किसी मरीज के विरुद्ध - एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन कार्यवाही (ECA) - न तो स्वयं करती है और न ही अपनी ओर किसी ऋण वसूली एजेन्सी को करने की अनुमति देती है यदि मरीज:
- 5.9.2.1** यदि मरीज के पास एक सक्रिय MFA अवार्ड है, अथवा
- 5.9.2.2** उन्होंने ECA शुरू होने के बाद MFA आवेदन शुरू कर दिया है। ECA को तब तक निलंबित किया जाता है, जब तक पात्रता का अंतिम निर्धारण नहीं कर लिया जाता है।
- 5.9.3 अनुमति योग्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन कार्यवाहियां।**
- 5.9.3.1 उचित प्रयासों का अंतिम निर्धारण।** कोई ECA आरंभ करने से पहले क्षेत्रीय 'राजस्व चक्र मरीज वित्तीय सेवा नेतृत्वकर्ता' निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करेंगे:
- 5.9.3.1.1** मरीज को MFA कार्यक्रम के बारे में अधिसूचित करने के लिए उचित प्रयासों को पूर्ण किया जाना, तथा
- 5.9.3.1.2** मरीज को MFA हेतु आवेदन करने के लिए प्रथम बिलिंग विवरण की तिथि से न्यूनतम 240 दिन प्रदान किए गए हों।
- 5.9.3.2 उपभोक्ता क्रेडिट एजेन्सियों अथवा क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट दिया जाना।** KFHP/P अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाली कोई ऋण कलेक्शन एजेन्सी उपभोक्ता क्रेडिट एजेन्सियों अथवा क्रेडिट ब्यूरो को किसी प्रतिकूल सूचना की रिपोर्ट दे सकते हैं।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>21 का 30</b>

**5.9.3.3 न्यायिक अथवा सिविल कार्यवाहियां।** कोई भी न्यायिक या नागरिक कार्रवाई करने के पहले, KFHP/H बाहरी डेटा स्रोतों का उपयोग करके यह निर्धारित करने के लिए मरीज़ की वित्तीय स्थिति की जाँच करता है कि क्या मरीज़ MFA कार्यक्रम के लिए पात्र है।

**5.9.3.3.1 MFA कार्यक्रम के लिए पात्र है।** ऐसे मरीज़ जो MFA कार्यक्रम के लिए पात्र हैं, उनके विरुद्ध कोई भी अतिरिक्त कार्रवाइयाँ नहीं की जाती है। ऐसे खाते जो MFA के योग्य नहीं हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और पूर्व क्रियाकलाप के अनुसार कार्रवाई करने के लिए लौटा दिया जाता है।

**5.9.3.3.2 MFA के लिए योग्य।** बहुत सीमित मामलों में क्षेत्रीय मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा नियंत्रक की ओर से पूर्व अनुमोदन के साथ निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा सकती हैं:

**5.9.3.3.2.1 पारिश्रमिकों का ऋणानुबंध**

**5.9.3.3.2.2 विधिक अभियोग/सिविल कार्यवाहियां।** किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही नहीं की जाती है, जो बेरोजगार हो तथा उसके पास कोई अन्य ठीक आय न हो।

**5.9.3.3.2.3 आवासों पर धाराधिकार।**

**5.9.4 निषिद्ध एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन कार्यवाहियां।** KFHP/H किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाहियां न तो स्वयं करता है न ही कलेक्शन एजेंसियों को करने की अनुमति देता है:

**5.9.4.1 आपातकालीन अथवा आवश्यक चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवा प्रदान करने करने से पहले, किसी खाताधारक द्वारा पिछली बकाया राशि के भुगतान न करने के कारण उसे देखभाल देना आस्थगित करना या अस्वीकार करना।**

**5.9.4.2 किसी खाता धारक के ऋण को किसी तृतीय पक्ष को बेचना।**

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>22 का 30</b>

**5.9.4.3** सम्पत्ति पर पुरोबंध अथवा खारों का जब्त करना।

**5.9.4.4** गिरफ्तारी के वारंट का अनुरोध करना।

**5.9.4.5** बॉडी अटैचमेन्ट की रिट का अनुरोध करना।

**5.10 आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया।** KFHP/H अस्थायी रूप से अपने MFA कार्यक्रम पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रियाओं को संशोधित कर सकता है ताकि राज्य और संघीय सरकार द्वारा आपदा या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में योग्य ज्ञात घटना से प्रभावित समुदायों और रोगियों के लिए उपलब्ध सहायता में बढ़ोतरी की जा सके।

**5.10.1 संभावित पात्रता संशोधन।** MFA पात्रता मानदंड में अस्थायी परिवर्तन में निम्न शामिल हो सकते हैं:

**5.10.1.1** पात्रता प्रतिबंधों को स्थगित करना।

**5.10.1.2** युक्ति-परीक्षण (मीन्स-टेस्टिंग) मानदंडों की सीमा में वृद्धि करना।

**5.10.1.3** उच्च चिकित्सा व्यय मानदंड की सीमा को कम करना।

**5.10.2 संभावित आवेदन प्रक्रिया संशोधन।** MFA आवेदन प्रक्रिया के अस्थायी परिवर्तन में निम्न शामिल हो सकते हैं:

**5.10.2.1** मरीजों को बुनियादी वित्तीय जानकारी (जैसे, आय, यदि कोई हो और स्रोत) प्रदान करने और इसकी वैधता की पुष्टि करने की अनुमति देना जब (1) बाहरी डेटा स्रोतों का प्रयोग करते हुए उनकी वित्तीय स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सकता हो, (2) अनुरोध की गई वित्तीय सूचना किसी घटना के कारण उपलब्ध न हो तथा (3) पात्रता दर्शा सकने वाले कोई अन्य साक्ष्य न उपलब्ध हों।

**5.10.2.2** घरेलू आय का निर्धारण करते समय घटना के कारण भविष्य में आय/रोजगार के नुकसान के प्रभाव को ध्यान में रखना।

**5.10.3 जनता के लिए उपलब्ध जानकारी।** MFA कार्यक्रम में अस्थायी परिवर्तनों का वर्णन करने वाली जानकारी MFA कार्यक्रम के वेब पेज और प्रभावित क्षेत्रों में KP सुविधाओं पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है।

## 6.0 परिशिष्ट/संदर्भ

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>23 का 30</b>

## 6.1 परिशिष्ट

**6.1.1** परिशिष्ट A - क्षेत्रीय प्रयोज्यता

**6.1.2** परिशिष्ट B - पॉलिसी शब्दों की शब्दावली

## 6.2 अनुलग्नक

**6.2.1** अनुलग्नक 1 - Kaiser Permanente Colorado के लिए परिशिष्ट

**6.2.2** अनुलग्नक 2 - Kaiser Permanente Georgia के लिए परिशिष्ट

**6.2.3** अनुलग्नक 3 - Kaiser Permanente Hawaii के लिए परिशिष्ट

**6.2.4** अनुलग्नक 4 - Kaiser Permanente Mid-Atlantic States के लिए परिशिष्ट

**6.2.5** अनुलग्नक 5 - Kaiser Permanente Northern California के लिए परिशिष्ट

**6.2.6** अनुलग्नक 6 - Kaiser Permanente Northwest के लिए परिशिष्ट

**6.2.7** अनुलग्नक 7 - Kaiser Permanente Southern California के लिए परिशिष्ट

**6.2.8** अनुलग्नक 8 - Kaiser Permanente Washington के लिए परिशिष्ट

## 6.3 अन्य सन्दर्भ

**6.3.1** रोगी संरक्षण और वहनीय देखभाल अधिनियम, सार्वजनिक कानून 111-148 (124 स्टेट। 119 [2010])

**6.3.2** संघीय रजिस्टर तथा वार्षिक संघीय निर्धनता दिशानिर्देश

**6.3.3** आंतरिक राजस्व सेवा प्रकाशन, 2014 अनुसूची H के लिए निर्देश (फॉर्म 990)

**6.3.4** आंतरिक राजस्व सेवा नोटिस 2010-39

**6.3.5** आंतरिक राजस्व सेवा संहिता, 26 सीएफआर(CFR) भाग 1, 53, तथा 602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 - धर्मार्थ अस्पतालों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं

**6.3.6** कैलीफोर्निया अस्पताल संघ - अस्पताल वित्तीय सहायता नीतियां एवं सामुदायिक लाभ कानून, 2015 संस्करण

**6.3.7** संयुक्त राज्य कैथोलिक स्वास्थ्य संघ - सामुदायिक लाभ की योजना बनाने एवं रिपोर्ट करने के लिए एक मार्गदर्शिका, 2012 संस्करण

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता	पेज <b>24 का 30</b>

**6.3.8** प्रदाता सूची। KFHP/H वेबसाइट पर निम्नलिखित के लिए प्रदाता सूचियां उपलब्ध हैं:

- 6.3.8.1** Kaiser Permanente of Hawaii ([www.kp.org/mfa/hawaii](http://www.kp.org/mfa/hawaii))
- 6.3.8.2** Kaiser Permanente of Northwest ([www.kp.org/mfa/nw](http://www.kp.org/mfa/nw))
- 6.3.8.3** Kaiser Permanente of Northern California ([www.kp.org/mfa/ncal](http://www.kp.org/mfa/ncal))
- 6.3.8.4** Kaiser Permanente of Southern California ([www.kp.org/mfa/scal](http://www.kp.org/mfa/scal))
- 6.3.8.5** Kaiser Permanente of Washington ([www.kp.org/mfa/wa](http://www.kp.org/mfa/wa))



पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>25 का 30</b>

### परिशिष्ट B - पॉलिसी शब्दों की शब्दावली

**समुदाय MFA (CMFA)** योजनाबद्ध चिकित्सीय वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो KP परिसरों पर कम आय वाले बीमा रहित और बीमाकृत रोगियों के लिए चिकित्सकीय नजरिये से आवश्यक देखभाल तक पहुंच प्रदान करने वाले समुदाय आधारित और सुरक्षा नेट संगठनों के साथ सहयोग करते हैं।

**ऋण संग्रह एजेंसी-** एक ऐसा व्यक्ति या संगठन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा, एक लेनदार या ऋण लेने वाले से, बकाया या कथित तौर पर बकाया ऋण की वसूली का प्रबंध या कार्य करता है या प्रयास करता है।

**टिकाऊ चिकित्सा उपकरण (DME)** में शामिल हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, मानक बेंत, बैसाखियाँ, नेब्युलाइज़र, इच्छित लाभान्वित आपूर्तियाँ, घर में इस्तेमाल होने वाली दरवाजा कर्षण इकाइयाँ, व्हीलचेयर, वॉकर, अस्पताल के बिस्तर, और घर में इस्तेमाल होने वाली DME मापदंड वाली ऑक्सीजन। DME में ये नहीं शामिल हैं - ऑर्थोटिक्स, कृत्रिम अंग (जैसे कि डायनामिक स्प्लिन्ट्स/ऑर्थोसेस, तथा कृत्रिम कंठ तथा आपूर्तियाँ) तथा ओवर-दि-काउंटर आपूर्तियाँ, तथा सॉफ्ट गुड्स (जैसे कि यूरोलॉजिकल आपूर्तियाँ, तथा क्षति आपूर्तियाँ)।

**पात्र मरीज** ऐसे व्यक्ति हैं जो इस नीति में वर्णित पात्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं, चाहे (1) मरीज अभीमाकृत हों; (2) वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से कवरेज प्राप्त करते हों (जैसे कि Medicare, Medicaid, अथवा किसी स्वास्थ्य बीमा एक्सचेंज के माध्यम से क्रय किया गया सहायिकी प्राप्त स्वास्थ्य सेवा बीमा); (3) वे KFHP के बजाय किसी दूसरे स्वास्थ्य बीमा द्वारा बीमित हों; अथवा (4) KFHP द्वारा कवर होंगे।

**बाहरी डेटा स्रोत** तृतीय-पक्ष विक्रेता जो सार्वजनिक रिकॉर्ड डेटाबेस पर आधारित मॉडल का उपयोग करके वित्तीय आवश्यकता का आकलन करने के लिए मरीज की व्यक्तिगत जानकारी की समीक्षा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो किसी मरीज की वित्तीय क्षमता के स्कोर की गणना करने के लिए समान मानकों के आधार पर प्रत्येक मरीज का आकलन करते हैं।

**फेडरल गरीबी संबंधी दिशानिर्देश (FPG)** संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा निर्धारित गरीबी के लिए वार्षिक आय का स्तर और उसे हर साल फेडरल रजिस्टर में अपडेट किया जाता है।

**वित्तीय परामर्श** प्रक्रिया का उपयोग KP परिसरों में दी गई सेवाओं के भुगतान के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तपोषण और स्वास्थ्य कवरेज विकल्पों के बारे में मरीजों को जानकारी उपलब्ध कराने की सहायता के लिए किया जाता है। वित्तीय परामर्श प्राप्त कर सकने वाले रोगियों में शामिल हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, स्व-भुगतान, बीमारहित, बीमाकृत और ऐसे लोग जो रोगी संबंधी दायित्वों का पूरा भुगतान नहीं कर सकते।

**बेघर** एक व्यक्ति के रहने की परिस्थिति के लिए स्थिति का विवरणक, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

- ऐसे स्थान जो मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं हैं, जैसे कि कार, पार्क, सड़क की पटरी, खाली इमारतें (सड़कों पर)।

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>26 का 30</b>

- आपातकालीन शरणस्थल में।
- मूल रूप से सड़कों या आपातकालीन शरणस्थलों से आने वाले बेघर व्यक्तियों के लिए परिवर्ती अथवा सहायक आवास में।
- उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर, लेकिन एक अल्प अवधि (लगातार 30 दिनों तक) किसी अस्पताल या संस्थान में व्यतीत कर रहे हैं।
- किसी निजी निवास-स्थान से एक सप्ताह के अन्दर बाहर निकाले गए हैं, अथवा घरेलू हिंसाजनक स्थितियों के कारण भागे हुए हैं, तथा उसके पश्चात किसी घर की पहचान नहीं की गई है, तथा घर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास संसाधन तथा आवश्यक सपोर्ट नेटवर्क नहीं हैं।
- किसी संस्थान से एक सप्ताह के अन्दर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य अथवा माकद पदार्थ दुरुपयोग उपचार केन्द्र, जिसमें वे व्यक्ति लगातार 30 से अधिक दिनों तक निवासी रहे हैं, तथा तथा उसके पश्चात किसी घर की पहचान नहीं की गई है, तथा घर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास संसाधन तथा आवश्यक सपोर्ट नेटवर्क नहीं हैं।

**KP** में Kaiser Foundation Hospitals और सम्बद्ध हॉस्पिटल क्लिनिक, Kaiser Foundation Health Plans, Permanente Medical Groups और Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) को छोड़कर उनके संबंधित सहायक KFHP शामिल हैं।

**KP परिसरों** में ऐसा कोई भी भौतिक परिसर शामिल हैं, जिनमें मरीज की देखभाल जैसे KP के व्यावसायिक कार्यों के लिए KP द्वारा स्वामित्व वाली या किराए वाले भवन का भीतरी और बाहरी हिस्सा शामिल है (उदाहरण के लिए, कोई भवन, या KP मंजिल, इकाई या अन्य भीतरी क्षेत्र या गैर-KP बिल्डिंग का बाहरी क्षेत्र)।

**युक्ति-परीक्षित** ऐसी पद्धति, जिसके द्वारा - मरीज द्वारा प्रदान की गई सूचना अथवा बाह्य डेटा स्रोत- का प्रयोग किसी सार्वजनिक बीमा कार्यक्रम अथवा MFA के लिए पात्रता निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि क्या संदर्भित व्यक्ति की घरेलू आय संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक है।

**चिकित्सीय वित्तीय सहायता (MFA)** एक ऐसा कार्यक्रम जो पात्र मरीजों को चिकित्सीय व्यय का भुगतान करने के लिए मौद्रिक अवार्ड प्रदान करता है, जो चिकित्सीय रूप से आवश्यक सेवाओं का समग्र या आंशिक रूप से भुगतान करने में अक्षम हैं, तथा जिन लोगों ने सार्वजनिक एवं निजी भुगतानकर्ता स्रोतों का पूर्ण उपयोग कर लिया है। व्यक्तियों द्वारा देखभाल संबंधी कुछ या पूरी लागत के भुगतान में सहायता के लिए कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

**चिकित्सीय आपूर्ति** ऐसी चिकित्सीय सामग्रियाँ जो फिर से इस्तेमाल में नहीं आ पाएंगी, जैसे कि स्प्लिंट, स्लिंग, घाव की मरहम-पट्टियाँ आदि जिन्हें कि सिर्फ लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा ही इस्तेमाल किया

पॉलिसी का नाम <b>Medical Financial Assistance</b>	पॉलिसी संख्या <b>NATL.CB.307</b>
उत्तरदायी विभाग <b>National Community Health</b>	प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2023
दस्तावेज़ के मालिक <b>निदेशक, चिकित्सीय वित्तीय सहायता</b>	पेज <b>27 का 30</b>

जाता है, और इसमें उन सामग्रियों को छोड़ दिया गया है जो किसी अन्य स्रोत से मरीज द्वारा खरीदी गई या प्राप्त की गई हैं।

**मरीज की लागत** का अर्थ है KP सुविधाओं (जैसे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सम्बद्ध क्लीनिक, चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा कार्यालय की इमारतें और आउट पेशेंट फ़ार्मसियों) में प्राप्त देखभाल के लिए किसी रोगी को दिए जाने वाले शुल्कों का वह हिस्सा जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम द्वारा नहीं की जाती है।

**फ़ार्मसी संबंधी छूट** कम-आय वाले KP सीनियर एडवांटेज मेडिकेयर पार्ट डी के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो मेडिकेयर पार्ट डी के तहत कवर की गई बाह्य रोगी दवा की लागत को वहन नहीं कर सकते।

**सेफ्टी नेट** एक गैरलाभ संगठनों तथा/अथवा सरकारी एजेंसियों की एक प्रणाली है, जो किसी सामुदायिक परिवेश - जैसे कि सार्वजनिक हॉस्पिटल, सामुदायिक क्लीनिक, चर्च, बेघर शरणस्थल, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, विद्यालय आदि - में अबीमाकृत व्यक्तियों को सीधी चिकित्सीय देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं।

**अल्पबीमाकृत** ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास स्वास्थ्य सेवा बीमा होने के बावजूद, बीमा प्रीमियम, सहभुगतान, सहबीमा, तथा कटौतियों का भुगतान करने का दायित्व एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होता है, जिससे वे अपने पास से किए जाने वाले व्यय के कारण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं नहीं लेते हैं।

**अबीमाकृत** यह एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसके पास - स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का भुगतान करने में सहायता के लिए - स्वास्थ्य सेवा बीमा अथवा संघीय अथवा राज्य प्रायोजित वित्तीय सहायता नहीं होती है।

**कमजोर आबादी** वे जनसांख्यिकीय समूह जिनके स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी मुद्दों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जैसे कि बीमारी, जातीयता, उम्र या अक्षमता संबंधी अन्य कारकों के कारण सामान्य आबादी की तुलना में अधिक जोखिमकारी स्थिति में माना जाता है।

**गिरफ्तारी आदेश** न्यायालय द्वारा आरंभ की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्राधिकारणों को निर्देश दिया जाता है कि वे सिविल अवमानना करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ले आएंगे, यह एक गिरफ्तारी वारंट के सदृश्य होता है।

अनुशेष: **Kaiser Permanente Washington**

अनुशेष प्रभावी तिथि: **जनवरी 1, 2023**

- I. वाशिंगटन की कैसर फाउंडेशन स्वास्थ्य योजना** यह पॉलिसी सभी WA की कैसर फाउंडेशन स्वास्थ्य योजना KFHP/H (जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल-संबद्ध क्लीनिक, चिकित्सा केंद्र और चिकित्सा कार्यालय भवन) और आउट पेशेंट फ़ार्मेशियों पर लागू होती है। वाशिंगटन के वाशिंगटन की कैसर फाउंडेशन स्वास्थ्य योजना हैं:
- Kaiser Permanente Central Hospital
- II. MFA पॉलिसी के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र और अपात्र सेवाएं**
- a. **अतिरिक्त पात्र सेवाएं**
- i. KP प्रदाता द्वारा चिकित्सकीय रूप से ज़रूरी निर्धारित और आदेशित और KP ऑडियोलॉजी/हीयर सेंटर के माध्यम से खरीदे गए श्रवण यंत्र।
- ii. KP प्रदाता द्वारा ज़रूरी निर्धारित और आदेशित और KP आई केयर के माध्यम से ऑप्टिकल संबंधी आपूर्ति और सामान चिकित्सकीय जरूरतों के अनुसार ही निर्धारित होने चाहिए और आदेशित होना चाहिए और KP Eye Care के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए
- III. MFA पॉलिसी के विषयाधीन और गैर-विषयाधीन प्रदातागण।** KFHP जो MFA पॉलिसी के विषयाधीन हैं और, इसकी सूची KFHP/H MFA की वेबसाइट [www.kp.org/mfa/wa](http://www.kp.org/mfa/wa) पर आम जनता के लिए, निशुल्क उपलब्ध है।
- IV. कार्यक्रम की जानकारी और MFA के लिए आवेदन करना।** MFA पॉलिसी, आवेदन प्रपत्र, निर्देश, और साधारण भाषा में सारांश (उदा. प्रोग्राम ब्रोशर) सहित MFA प्रोग्राम की जानकारी, आम लोगों को निःशुल्क, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में या हार्ड कॉपी में उपलब्ध है। कोई मरीज KFHP/H से सेवा प्राप्त करने के दौरान या उसके पश्चात MFA कार्यक्रम के लिए कई तरीकों से आवेदन कर सकता है, - जिसमें व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन द्वारा, अथवा आवेदनपत्र द्वारा आवेदन किया जाना शामिल है। (पॉलिसी के अनुभाग 5.3 and 5.4 को संदर्भित करें )
- a. **KFHP/H वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन को पूरा करें और जमा करें।** [www.kp.org/mfa/wa](http://www.kp.org/mfa/wa) वेबसाइट से मरीज MFA की आवेदन की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुरू और जमा कर सकता है।
- b. **KFHP/H वेबसाइट से कार्यक्रम की जानकारी डाउनलोड करें।** कार्यक्रम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां MFA की वेबसाइट [www.kp.org/mfa/wa](http://www.kp.org/mfa/wa) पर उपलब्ध हैं।
- c. **इलेक्ट्रॉनिक रूप में कार्यक्रम सूचना के लिए अनुरोध करना।** कार्यक्रम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां [medfinassist@kp.org](mailto:medfinassist@kp.org) पर अनुरोध किए जाने पर ईमेल द्वारा उपलब्ध हैं।
- d. **कार्यक्रम की सूचना प्राप्त करें अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन करें।** कार्यक्रम सूचना अनुभाग I, *Kaiser Foundation Hospitals* में सूचीबद्ध Kaiser Foundation Hospitals में भर्ती और

आपातकालीन कक्ष विभागों में उपलब्ध है। प्रत्येक KP तत्काल देखभाल परिसर के व्यावसायिक कार्यालय में भी कर्मचारी उपलब्ध हैं। कर्मचारी किसी भी Kaiser Permanente सुविधा के व्यवसाय कार्यालय या चेक-इन डेस्क पर उपलब्ध हैं।

- e. **कार्यक्रम की सूचना का अनुरोध करें अथवा टेलीफोन द्वारा आवेदन करें।** टेलीफोन द्वारा जानकारी देने, MFA पात्रता निर्धारित करने और MFA के लिए आवेदन करने हेतु किसी मरीज को सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध हैं। कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक, सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध हैं। पीएसटीPST पर:

टेलीफोन नंबर: 1-800-442-4014 (TTY **711**)

- f. **प्रोग्राम की जानकारी के लिए अनुरोध करें या मेल द्वारा आवेदन करें।** मरीज प्रोग्राम की जानकारी के लिए अनुरोध कर सकता है या मेल द्वारा MFA संपूर्ण प्रोग्राम एप्लिकेशन सबमिट करके MFA के लिए आवेदन कर सकता है। जानकारी के लिए अनुरोध और आवेदन इस पर मेल किए जा सकते हैं:

Kaiser Permanente MFA Program  
PO Box 34584  
Seattle, Washington 98124-1584

- g. **पूरे भरे आवेदन को व्यक्तिगत रूप से जमा करें।** पूरे भरे आवेदन को किसी भी KP परिसर में किसी भी चेक-इन डेस्क या व्यावसायिक कार्यालय पर व्यक्तिगत रूप से जमा कराया जा सकता है।

- V. पात्रता मानदण्ड।** MFA पात्रता का निर्धारण करते समय किसी मरीज की घरेलू आय पर विचार किया जाता है। (पॉलिसी के अनुभाग 5.6.1 का संदर्भ लें।)

- a. मीन्स टेस्ट करने के मापदंड: गरीबी संबंधी संघीय दिशानिर्देशों के 300% तक

- VI. डिस्काउंट शेड्यूल** चिकित्सा वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने वाले मरीज से KP जो भुगतान लेता है वह कार्यक्रम के लिए मरीज की पात्रता के लिए उपयोग किए गए पात्रता मानदंड के प्रकार पर आधारित होता है।

- a. **वो मरीज जो मीन्स-टेस्टिंग मानदण्ड को पूरा करता है।** एक मरीज जो मीन्स-टेस्टिंग को पूरा करता है वो रोगी उन लागत या सेवाओं के शुल्क के हिस्से पर स्लाइडिंग स्केल छूट का हकदार है जिसके लिए रोगी जिम्मेदार है। छूट की राशि रोगी की घरेलू आय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

संघीय गरीबी दिशानिर्देश प्रतिशत		वित्तीय सहायता छूट
से	को	
0% - 200%		100% छूट
201% - 250%		75% छूट
251% - 300%		50% छूट

यदि आंशिक छूट (100% से कम) दी जाती है, तो शेष राशि का पूरा भुगतान करना आवश्यक है या इसमें ब्याज-मुक्त भुगतान योजना बनाने का विकल्प शामिल है।

- VII. अमाउंट्स जनरली बिल्ड (AGB) की राशियाँ ज्ञात करने के लिए आधार।** KFHP/H किसी भी आपातकालीन स्थिति या चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के लिए लुक-बैक विधि का उपयोग करके परिचर्या के सकल शुल्कों को AGB दर से गुणा करके AGB का निर्धारण करता है। AGB दर और परिकलन से सम्बंधित जानकारी KFHP/H MFA की वेबसाइट [www.kp.org/mfa/wa](http://www.kp.org/mfa/wa) पर उपलब्ध है।